जीवन में साथ देने वालों को कभी नहीं भूलना चाहिए–अज्ञात।

विचार-प्रवाह

देहरादून, बुधवार, 6 अक्टूबर 2021

पेज थ्री

www.page3news.in

जिम्मेदारी बनती है या नहीं

सवाल यह भी है कि चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा था, इसलिए उससे जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज होने से पहले स्पीकर की इजाजत ली जानी चाहिए थी, जो इस मामले में नहीं ली गई। मगर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

सुंदर सिंह।

केरल विधानसभा से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह देखना मंजूर कर लिया है कि जनप्रतिनिधियों की सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन विधायिका के कामकाज के दौरान जनप्रतिनिधियों के अशोभनीय व्यवहार की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों में टकराव से जुड़े पहलुओं की वजह से कानून के जानकारों की नजरें भी इस केस पर टिकी हुई हैं।

मामला 2015 का है, जब केरल में कांग्रेस की ओमन चांडी सरकार के वित्त मंत्री विधानसभा में राज्य का बजट पेश कर रहे थे। तत्कालीन विपक्ष के सदस्य विरोधस्वरूप सदन में हंगामा कर रहे थे। आरोप है कि उसी दौरान सीपीआई विधायक के. अजित ने माइक फेंका और सदन का फर्नीचर भी तोड़ा। विधानसभा सचिव का आकलन था कि उस दिन तोड़फोड़ के दौरान 2.20 लाख रुपये का नुकसान हुआ। पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति निवारण कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की। इसी बीच प्रदेश में कांग्रेस की जगह लेफ्ट फ्रंट की सरकार बन गई और उसने इस मामले को वापस लेने का प्रयास शुरू कर दिया। मगर पहले ट्रायल कोर्ट ने और फिर केरल हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी ठुकरा दी, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कई विधि विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला विधानसभा के अंदर का है और इसलिए स्पीकर को तय करना चाहिए।

विधानसभा के अंदर की कार्यवाही के दौरान सदस्यों का आचरण वैसे भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता। जनप्रतिनिधियों को संविधान के तहत यह छूट मिली हुई है। एक तकनीकी सवाल यह भी है कि चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा था, इसलिए उससे जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज होने से पहले स्पीकर की इजाजत ली जानी चाहिए थी, जो इस मामले में नहीं ली गई। मगर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। उसने कहा कि न केवल विधानसभाओं में बल्कि संसद में भी ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आखिर जनप्रतिनिधि ऐसे व्यवहार से क्या संदेश देना चाहते हैं? मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होने वाली है। इस पर तो सबकी नजर रहेगी ही कि सर्वोच्च अदालत इस मामले में क्या फैसला करती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हर अधिकार या विशेषाधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने में हाल के वर्षों में काफी लापरवाही देखी गई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इस दखल की जमीन तैयार करने का काम खुद जनप्रतिनिधियों ने किया है। आखिर विधायिका के अधिकारों की दुहाई देकर अपनी गैरजिम्मेदारी को कब तक छुपाए रखा जा सकता है।

आश्रय

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। वन में जंगली पशुओं का डर है इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा – मेरी कुटिया में आपका स्वागत है, भद्र और जो रखा–सूखा घर में है, आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है बड़ी कृपा हुई उनकी। बाहर दालान ने एक खटिया पर दोनों को बिठा कर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा – देवी दो अतिथि आये हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आते का बर्तन दिखती हुई बोली –घर में इतना–सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला – कोई बात नहीं। हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज कांजी बना कर पिला देना।

संपादकीय

नौकरानी बनाम महारानी

हम भारत की संसद, सरकार, अदालतों, शिक्षा, चिकित्सा और जन–जीवन में हिंदी और स्वभाषाओं को उनका उचित स्थान दिलवा सकें तो फिर उसे संयुक्तराष्ट्र में भी प्रतिष्ठित करवा सकते हैं, लेकिन घर में जो नौकरानी बनी हुई है, उसे आप बाहर महारानी बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या लोग आप पर हंसेंगे नहीं? यदि सरकारी नौकरियों से अंग्रेजी की अनिवार्यता हट जाए तो देश के करोड़ों गरीबों, पिछड़ों, ग्रामीणों को आगे आने के अपूर्व अवसर मिल सकेंगे। यदि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की तरह एक अनुवाद मंत्रालय भी कायम कर दे तो बहुभाषी भारत में यह एक चमत्कारी काम होगा। भारत के किसी भी नागरिक को स्वभाषा का प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। संसद और विधानसभा के कानून स्वभाषाओं में बनने शुरू हो जाएंगे, अदालतों के फैसले और बहसें जनता की भाषा में होंगी, विश्वविद्यालयों की ऊंची पढ़ाई और शोधकार्य भी भारतीय भाषाओं में होने लगेंगे। सारे स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी की अनिवार्य पढ़ाई पर प्रतिबंध होगा। कोई भी विषय अंग्रेजी माध्यम की बजाय भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जा सकेगा। छात्रों को सिर्फ अंग्रेजी नहीं, कई विदेशी भाषाएं पढ़ने की स्वैच्छिक सुविधा भी दी जाए ताकि हमारे विदेश व्यापार, कूटनीति और शोधकार्य में नई जान फुंक जाए। भारत को समतामूल राष्ट्र बनाने में भारी मदद मिलेगी। लोकभाषा के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी अधूरी है।

रिपोर्ट के आधार पर एक कानून बना, जिससे सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिला। इसी कानून के आधार पर साल 2006 से इस वर्ग के लोगों को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में भी रिजर्वेशन दिया गया।

पांवों में बेड़ियां

वेदप्रताप वैदिक।।

हर 14 सितंबर को भारत में हिंदी–दिवस मनाया जाता है, जो एक सरकारी औपचारिकता बनकर रह जाता है। यदि भारत की विभिन्न सरकारों और जनता को सचमुच स्वभाषा का महत्व पता होता तो हिंदी की वह दुर्दशा नहीं होती, जो आज है। दुनिया का कोई भी देश यदि महाशक्तिशाली और महासंपन्न बना है तो वह स्वभाषा के माध्यम से बना है। सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन अपने देश की शिक्षा, चिकित्सा, संसद, सरकार, अदालतों और दिन–प्रतिदिन के व्यवहार में उच्चतम स्तर तक स्वभाषा का ही प्रयोग करते हैं। मैं इन सभी देशों में रहा हूं। मैंने उनके उच्चतम स्तरों तक पर कभी किसी विदेशी भाषा का प्रयोग होते नहीं देखा है।

इसका अर्थ यह नहीं कि विदेशी भाषाओं का प्रयोग और उपयोग करना सर्वथा अनुचित है। कदापि नहीं। विदेशी भाषाओं का उपयोग अनुसंधान, कूटनीति, विदेश–व्यापार आदि के लिए हम करें और जमकर करें, यह जरूरी है लेकिन हम किसी एक विदेशी भाषा को अपनी मालकिन बना लें और अपनी भाषाओं को उसकी नौकरानी बना दें तो मानकर चलिए कि हमने अपने राष्ट्र के पांवों में बेड़ियां डाल दी हैं।

यदि आज भी भारत की जनता और सरकार संकल्प कर लें कि राष्ट्र–जीवन के हर क्षेत्र में हम स्वभाषा और राष्ट्रभाषा को प्राथमिकता देंगे तो निश्चय ही भारत 21वीं सदी को एशिया की सदी बना सकता है। हिंदी–दिवस के अवसर पर भारत के विभिन्न भाषा–भाषी नागरिकों को यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि हिंदी किसी पर थोपी नहीं जाएगी। समस्त भारतीय भाषाओं को समान आदर प्राप्त होगा। अब हमारी संसद और सर्वोच्च न्यायालय में कई अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग होने भी लगा है। हिंदी–दिवस पर भारत की जनता और सरकार, दोनों को कुछ ठोस संकल्प लेने चाहिए। भारत के सभी नागरिक यह संकल्प ले सकते हैं कि वे अपने हस्ताक्षर अपनी मातृभाषा या हिंदी में ही करेंगे। वे अंग्रेजी या किसी भी विदेशी भाषा में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। देश के ज्यादातर पढ़े–लिखे लोग अपने दस्तखत अंग्रेजी में ही करते हैं। यदि देश के करोड़ों लोग यह संकल्प कर लें तो स्वभाषा की यह चेतना उनके अन्य कामों में भी अपना असर दिखाएगी। विभिन्न शहरों के बाजारों में लगे नामपट यदि हिंदी और स्थानीय भाषाओं में लगे हों तो खरीदारों को आसानी होगी। कुछ प्रांतों ने स्थानीय भाषा के इस प्रावधान को कानूनी रूप भी दिया है। सारे देश के बाजारों के लिए इस तरह के नियम क्यों नहीं लागू किए जा सकते? आम लोगों को चाहिए कि वे अपने परिचय–पत्र और निमंत्रण–पत्र भी भारतीय भाषाओं में छपवाएं। अब से लगभग 50 साल पहले जब यह स्वभाषा आंदोलन तेजी से चला था तो सैकड़ों लोग ऐसे भी थे, जो अंग्रेजी में निमंत्रणों के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर देते थे।

आजकल हमारी बोलचाल में, अखबारों और टीवी चैनलों में अंग्रेजी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कई बार तो उस बोले और लिखे हुए का अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता है। भाषा अलग भ्रष्ट होती है।

संवाद का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों को पचा लेने की क्षमता खो दें। हिंदी तो समर्थ भाषा बनी ही इसीलिए कि इसने सैकड़ों देशी और विदेशी भाषाओं और बोलियों के शब्दों को पचा लिया है। उसका शब्द सामर्थ्य और अभिव्यक्ति की क्षमता अंग्रेजी के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। वह संस्कृत की पुत्री और भारतीय भाषाओं की भगिनी है।

सूडोकु नवताल- 5347

***** कठिनतम

				1			6	
					5			
2		3	9			8		
6							5	
			8		3			
	1							4
		7			1	3		9
			2					
	5			6				

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
- पहेली का केवल एक ही हल है।

सूडोकु नवताल -5346 का हल

7	6	8	2	1	9	3	4	5
2	1	5	6	3	4	8	7	9
3	4	9	5	7	8	6	1	2
5	7	4	8	6	1	9	2	3
9	2	1	3	4	5	7	8	6
8	3	6	7	9	2	1	5	4
1	5	3	4	8	5	2	9	7
4	9	7	1	2	3	5	6	8
6	8	2	9	5	7	4	3	1

अपना ब्लॉग

हिंदी को नौकरशाही के शिकंजे से मुक्त करेगी

मोहन। हिंदी–दिवस पर भारत की जनता यह संकल्प भी ले कि वह हिंदी को नौकरशाही के शिकंजे से मुक्त करेगी। आज भी देश का शासन हमारे नेता कम और नौकरशाह ज्यादा चलाते हैं। वे आज तक अंग्रेजी काल की गुलाम मानसिकता से मुक्त नहीं हुए हैं। यदि हमारे नेता दृढ़ संकल्पी हों तो भारत से अंग्रेजी का वर्चस्व वैसे ही चुटकियों में खत्म कर सकते हैं, जैसे व्लादिमीर लेनिन ने रूस में फ्रांसीसी और अतातुर्क ने तुर्की में अरबी लिपि का किया था। विभिन्न विषयों की पुस्तकें और ताजा शोध–लेख, जो विदेशी भाषाओं में होंगे, वे भारतीय छात्रों को उनकी सहज और सरल भाषा में मिलने लगेंगे। विदेशी भाषा को रटने और समझने में जो शक्ति फिजूल खर्च होती है, उसका उपयोग छात्रों की मौलिकता बढ़ाने में होगा। यदि सारे सरकारी काम–काज से अंग्रेजी को हटा दिया जाए तो समस्त भारतीय भाषाएं और हिंदी अपने आप जम जाएंगी। बस, सावधानी यही रखनी होगी कि किसी अहिंदीभाषी को कोई असुविधा न हो।